

बईजलास श्री राजेश सुवालका (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या :-3/2020 (2020/00004)

दर्ज दिनांक 07.01.2020

अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

देवकिशन आत्मज नारायण सुथार निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. सुखलाल आत्मज रूपा सुथार निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. धन्नी पुत्री हरलाल पत्नि भज्जा गाडरी निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा, हाल निवासी गाडरी खेड़ा (थला) तहसील रायपुर
3. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा बजरिये व्यवस्थापक
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता वादीगण:- श्री रितेश सुराणा
पेरोकार सरकार

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 06.09.2021

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 19.03.2021 को प्र०सं० 03/2020 प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक एवं मृतक खातेदार हरलाल आत्मज हीरा गाडरी की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या 289 में अंकित आराजी संख्या 138 रकबा 0.57 हे० कुल किता 01 कुल रकबा 0.57 हे० भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पीडी/2019/303 दिनांक 24.08.2021 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।

ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक एवं मृतक खातेदार हरलाल आत्मज हीरा गाडरी की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या 289 में अंकित आराजी संख्या 138 रकबा 0.57 हे० कुल किता 01 कुल रकबा 0.57 हे० भूमि का विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार संयुक्त प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार है।


अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।




Rey

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	देवकिशन पुत्र नारायण सुथार सा० देह	उम्मेदपुरा (खाता संख्या 289)	138/3	0.0650
		योग	1	0.0650
2	धन्नी पुत्री हरलाल गाडरी सा० देह	उम्मेदपुरा (खाता संख्या 289)	138/2	0.2850
		योग	1	0.2850
3	सुखलाल पिता रूपा सुथार सा० देह रतन जी०एस०एस०एस० लि० उम्मेदपुरा	उम्मेदपुरा (खाता संख्या 289)	138/1	0.2200
		योग	1	0.2200

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।


(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा 2.

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापूर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री राजेश सुवालका (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या :-3/2020 (2020/00004)

दर्ज दिनांक 07.01.2020

अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

देवकिशन आत्मज नारायण सुथार निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. सुखलाल आत्मज रूपा सुथार निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. धन्नी पुत्री हरलाल पत्नि भज्जा गाडरी निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा, हाल निवासी गाडरी खेड़ा (थला) तहसील रायपुर
3. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा बजरिये व्यवस्थापक
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगापूर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता वादीगण:- श्री रितेश सुराणा
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 06.09.2021

डिक्री दिनांक : 06.09.2021


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापूर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री रितेश सुराणा एवं पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	देवकिशन पुत्र नारायण सुथार सा० देह	उम्मेदपुरा (खाता संख्या 289)	138/3	0.0650
		योग	1	0.0650
2	धन्नी पुत्री हरलाल गाडरी सा० देह	उम्मेदपुरा (खाता संख्या 289)	138/2	0.2850
		योग	1	0.2850
3	सुखलाल पिता रूपा सुथार सा० देह रतन जी०एस०एस०एस० लि० उम्मेदपुरा	उम्मेदपुरा (खाता संख्या 289)	138/1	0.2200
		योग	1	0.2200

नीजNil.....मुबलिंग Nilबाबत् Nilखर्चा
इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस दी सालाना आज की तारीख से
तारीख वसूलयाबी तक Nilका अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.09.2021 को जारी किया गया


(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाड़ा

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ()	—		महनताना वकील ()	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

Raj
सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर 2